पंजीकृत संख्या 72/54-55 ।। वन्दे मातरम् ।। दूरभाषः 0141-2377799
Website : www.rssrashtriya.org E-mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालयः 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001
संरक्षकः सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, महावीर प्रसाद सिंहल

(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	देवलाल गोचर	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
94133-44625	94144-03756	94140-56109	94143-96596

प्रेस विज्ञप्ति

परिवीक्षाकाल में सेटअप बदलने से हजारों शिक्षक होंगे अपसेट, प्रारम्भिक शिक्षा में समायोजन आदेश स्थगित कर 6 डी बन्द करने की मांग

जयपुर 17 अगस्त 2020। राज्य में प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत लेवल द्वितीय अंग्रेजी व गणित-विज्ञान विषय के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित किया गया अब पुनः प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय में समायोजन करने के निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर के आदेश के बाद राज्य के हजारों शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर चिंतित हो रहे है। प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेट हो चुके शिक्षक परस्पर अपना सेटअप बदलवाना नहीं चाहते है। उनका कहना है कि सेटअप बदलने से वे अपसेट ही होंगे। ऐसे में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने शिक्षामंत्री व प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों के समायोजन की कार्यवाही को स्थगित करने एवं चुनावी घोषणा पत्र में किये वादे के अनुरूप 6 डी को बन्द करने की मांग की है।

संगठन के महामंत्री श्री अरविन्द व्यास ने बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित-विज्ञान विषय के पद पहले से ही बहुत कम स्वीकृत है तथा 6 डी के दायरे में आने वाले शिक्षकों की संख्या भी कम है ऐसे में 6 डी से बहुत कम मात्रा में शिक्षकों को माध्यमिक विद्यालयों में भेजा जा सकेगा। वर्तमान मंे प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के रिक्त पदों पर 2018 में नियुक्त माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का समायोजन किया जाता है तो माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा तथा सभी विद्यालयों के एकीकरण होने के बाद समायोजन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

प्रदेशाध्यक्ष श्री सम्पत सिंह ने कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति के दो साल हो चुके है। एक वर्ष बाद 3 वर्ष की सेवाएं हो जाने से यह सभी शिक्षक 6 डी के दायरे में आ जाएंगे और पुनः माध्यमिक शिक्षा विभाग मंे समायोजित करना पड़ सकता है। बार-बार सेटअप बदलने की

कार्यवाही से ये शिक्षक अपसेट हो जाएंगे। परिवीक्षाकालावधि में समायोजन के नाम पर स्थानान्तरण की कार्यवाही करना न्यायाचित नहीं होगा। अतः ऐसे अव्यवहारिक आदेश को स्थगित किया जाना अपेक्षित है।

संगठन मंत्री श्री प्रहलाद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षकों के समायोजन करने के लिए 6 डी करने से दोनों विभागों के विद्यालयों में परस्पर आने-जाने वाले दोहरे शिक्षक व उनके परिवार प्रभावित होंगे। पूर्व में इन्हें काउन्सलिंग के जरिए पदस्थापित किया अब फिर से काउन्सलिंग कर पुनः पदस्थापन की कार्यवाही की जा रही है जो गलत है। चुनावी घोषणा पत्र में किये वादे के अनुरूप 6 डी से समायोजन बन्द करने की घोषणा की गई तदनुरूप 6 डी बन्द की जानी अपेक्षित है।

आशीष त्रिवेदी

(आशाष त्रिवदा)
मीडिया प्रकोष्ठ सदस्य
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)